(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3591–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–10–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी प्रकरण कमांक 48/2012–13/अपील.

श्रीमती कमला शर्मा पत्नी श्री धमेन्द्र कुमार शर्मा
निवासी झांसी रोड शिवपुरी परगना व
जिला शिवपुरी म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. मोहर सिंह पुत्र श्रीलाल चिडार
   निवासी कृष्णपुरम कॉलोनी, शिवपुरी
   परगना व जिला शिवपुरी, म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर शिवपुरी
   जिला शिवपुरी

–––––अनावेदकगण

– – –

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक– आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक – अनावेदक कं. 2

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 07 दिसम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के आदेश दिनांक 10–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदिका ने दिनांक 16–4–12 को तहसीलदार शिवपुरी को संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन दिया कि ग्राम सिंहनिवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 1424, 1643 में 2500/– वर्गफुट पंजीकृत विकय पत्र से कय की थी। पंजी कमांक 9 दिनांक 18–7–93 को नामांतरण हुआ। उक्त सर्वे नम्बरों का नया सर्वे नम्बर 2623, 2621 हुआ। नामांतरण पश्चात अभिलेख में अमलव नहीं हुआ, अतः अमल किया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 15–12–12 के द्वारा आवेदिका का आवेदन स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश दिये दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 मोहरसिंह ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 10–10–14 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पर उभय पक्ष को तर्क सुनने के पश्चात अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर म्याद मान्य किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम सिंहनिवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 1424 एवं 1643 रकवा 2500 वर्गफुट रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 16–1–91 भूमिस्वामी अनिल खंण्डेलवाल से कय कर कब्जा प्राप्त किया। तद्नुसार नामांतरण पंजी कमांक 9 दिनांक 16–7–1993 आदेश दिनांक 18–7–1993 द्वारा आवेदिका का नामांतरण उक्त भूमि पर हो गया। इसी प्रकार आवेदिका के पति श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने सर्वे कमांक 1424 रकवा 2687.6 वर्गफीट दिनांक 16–5–1991 को विकेता मुकेश जैन से कय किया जो पंजी कमांक 31 दिनांक 13–12–91 आदेश दिनांक 8–1–1992 से धमेन्द्र शर्मा का नामांतरण हो गया। नामांतरण

आदेश दिनांक 18–7–1993 के पालन में राजस्व अभिलेख में सर्वे बंदोबस्त पूर्व सर्वे कमांक 1424 एवं 1643 बंदोबस्त नवीन सर्वे कमांक 2612 एवं 2623 अर्थात दोनों सर्वे कमांक पर अमल न करते हुये, केवल पुराने सर्वे कमांक 1424 के स्थान पर निर्मित नवीन सर्वे कमांक 2623 का अमल आवेदिका के नाम किया गया किन्तु सर्वे कमांक 1643 के स्थान पर निर्मित नवीन सर्वे कमांक 2612 पर राजस्व अभिलेख में आवेदिका का नाम इन्द्राज नहीं किया। इसी आधार पर आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में नाम इन्द्राज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो आदेश दिनांक 15–12–12 द्वारा स्वीकार कर अमल किये जाने का आदेश किया गया। उक्त स्थिति में तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध दायर अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो के प्रतिकूल है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदिका ने नामांतरण आदेश दिनांक 18–7–1993 को हुये नामांतरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल छूट जाने से इन्द्राज हेतु आवेदन प्रस्तु किया जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी तर्क दिया कि यदि अनावेदक कमांक 1 का कोई अहित हुया था तब उसे उक्त नामांतरण को चुनौती दी जानी चाहिए थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के आवेदक की ओर से कोई सद्भाविक कारण नहीं दर्शाये जाने के बावजूद भी लगभग दो वर्ष विलंबित अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 मोहरसिंह को सूचना रजिस्टर्ड नोटिस भेजा परन्तु उसके उपरान्त भी अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय किया गया।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासकीय पैनल अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 2612/2 एवं 2623/2 अनावेदक कमांक 1

द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया था जिसके आधार पर उसका नामांतरण हो गया था। अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था परन्तु उसे सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार ने अमल का आदेश किया। यह भी तर्क दिया कि चूंकि अनावेदक कमांक 1 प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था फिर भी सूचना भी जारी नहीं की गई थी इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मानने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्ययालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार नहीं बनाया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक कमांक 1 को हितबद्ध पक्षकार मानते हुये एवं विलम्ब का कारण समाधानकारक मानकर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील को समय–सीमा में माना है। उक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में आवेदक को अपना पक्ष/दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 10–10–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर